



झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना

आवेदन के सत्यापन की मानक संचालन प्रक्रिया

आवेदन का प्रकार

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के आवेदन स्वीकार्य हैं

क

सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक, जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गयी हो, परन्तु पारम्परिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हों।


ख

सुखाड़ से प्रभावित कृषक, जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो।


ग

भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ हो

श्रेणी क) के आवेदकों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया



श्रेणी ख) के आवेदकों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया



नोट : श्रेणी ख) के आवेदकों के लिए फसल सत्यापन की प्रक्रिया की जानी है जिसके बारे में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जायेगा।

श्रेणी ग) के आवेदकों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया

पोर्टल पर प्राप्त आवेदन अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्राप्त होंगे

अंचल अधिकारी आवेदन की हार्ड कॉपी (print out annex-2) डाउनलोड कर लेंगे

आवेदन की हार्ड कॉपी (print out) का सत्यापन अंचल अधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी संयुक्त रूप से annex-2 के फॉर्मेट में करवाना सुनिश्चित करेंगे

उपायुक्त, पोर्टल पर दैनिक रूप से अपने लॉगिन से आवेदन के भुगतान सम्बंधित जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार आवेदनों को स्वीकृत कर DBT के लिए जिला प्रशासन को भेजेंगे

उपायुक्त अनुशासित आवेदन (हार्ड कॉपी) को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को उपस्थापित करेंगे

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त अनुशासित आवेदन को पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त के लॉगिन में अग्रेषित करेंगे

अनुमंडल पदाधिकारी को सत्यापित आवेदन की online अनुसंशा करेंगे

अंचल अधिकारी annex-2 के फॉर्मेट का softcopy लॉगिन में upload करेंगे साथ ही साथ प्रत्येक आवेदन सत्यापन की स्थिति को भी पोर्टल में दर्ज करेंगे

Annex-1 (केवल श्रेणी ख के आवेदकों के लिए)

प्रखंडवार किसानों की सत्यापित सूची

क्र ० सं ०	आवेदक आईडी	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	मोबाइल न०	ग्राम	पंचायत	क्या कृषक के फसल की 33% से अधिक क्षति हुई है (हाँ/नहीं)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	MSRY-XX XXXXXX	रमेश उराओं	दशरथ उराओं	पुरुष	XXXXXXXXX	बोरैया	कांके		
2	MSRY-XX XXXXXX	सोना माँझी	देवन माँझी	महिला	XXXXXXXXX	बोरैया	कांके		

Annex-2 (केवल श्रेणी ग के आवेदकों के लिए)

प्रखंडवार किसानों की सत्यापित सूची

क्र ० सं ०	आवेदक आईडी	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	मोबाइल न०	ग्राम	पंचायत	क्या यह आवेदक भूमिहीन कृषक मजदूर हैं ? (हाँ/नहीं)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	MSRY-XX XXXXXX	रमेश उराओं	दशरथ उराओं	पुरुष	XXXXXXXXX	बोरैया	कांके		
2	MSRY-XX XXXXXX	सोना माँझी	देवन माँझी	महिला	XXXXXXXXX	बोरैया	कांके		

केवल श्रेणी ग के आवेदकों के लिए सत्यापित सूची का सैंपल

पंचायतवार किसानों की सत्यापित सूची

क्र ० सं ०	आवेदक आईडी	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	मोबाइल न०	ग्राम	पंचायत	क्या यह आवेदक भूमिहीन कृषक मजदूर है ? (हाँ/नहीं)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	MSRY-XX XXXXXX	रमेश उराओं	दशरथ उराओं	पुरुष	XXXXXXXXX	बोरैया	कांके	हाँ	
2	MSRY-XX XXXXXX	सोना माँड़ी	देवन माँड़ी	महिला	XXXXXXXXX	बोरैया	कांके	नहीं	इस परिवार केअन्य व्यक्ति को लाभ मिल चूका है